सरकार

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०–स्था०1/आ०2–02/2016 128 /पटना, दिनांकः– 11/04/22

कार्यालय आदेश

श्री कृष्ण कान्त यादव, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक–सह–क्रय केन्द्र प्रभारी,बेन, नालंदा संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, पुनपुन प्रखंड, पटना के विरूद्ध बिहार स्टेट फुड एंड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि०, नालंदा के द्वारा गठित आरोपों के लिए संलग्न आरोप पत्र प्रपत्र 'क' के आधार पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम –17 के तहत निदेशालय के का०आ०सं०–22 सहपठित ज्ञापांक–215 दिनांक–27.01.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। उक्त विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता(विभागीय जाँच), नालंदा को संचालन पदाधिकारी तथा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, नालंदा को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया ।

जिला पदाधिकारी, नालंदा के पत्रांक–926 दिनांक–09.08.2016 द्वारा श्री कृष्ण कान्त यादव के विरूद्ध पुनः और गबन पाये जाने के कारण संशोधित प्रपत्र 'क' भेजी गयी। निदेशालय के पत्रांक–1793 दिनांक–15.09.2016 द्वारा संशोधित आरोप पत्र प्रपत्र 'क' अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच), नालंदा को उपलब्ध कराया गया ।

2. श्री कृष्ण कान्त यादव के विरूद्ध निम्नांकित आरोप गठित किये गये :–

(i) खरीफ विपणन मौसम वर्ष 2012–13 में आपके क्रय केन्द्र पर 39082.83 क्वीं० धान (उन्नचालिस हजार वेरासी क्वीं० तेरासी किलो) क्रय किया गया। खरीद किये गये धान की सम्पूर्ण मात्रा का भंडार निर्गमादेश कार्यालय द्वारा निर्गत किया गया। निर्गत S.I.O के विरूद्ध आपके द्वारा 10245.83 (दस हजार दो सौ पैंतालीस क्वीं० तेरासी किलो) क्वीं० धान चावल मिलों को चावल तैयार करने हेतु नहीं भेजा गया है। पूर्व अनेको बार दूरभाष से एवं बैठक में एवं जिला प्रबंधक के पत्रांक 5807 दिनांक– 26.11.2013 द्वारा चावल मिलों को भंडार निर्गमादेश पर धान निर्गत कर सेवित प्रति जमा करने का आदेश दिया गया, परन्तु आपके द्वारा जिला प्रबंधक के आदेशों का उल्लंघन करते हुए S.I.O के सेवित प्रति जमा नहीं किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि आपके गोदाम में धान उपलब्ध नही है। पुनः आपके द्वारा 600 क्वीं० धान किसी प्रकार निर्गत दिखाया गया है। शेष धान 9645.83 (नौ हजार छः सौ पैंतालीस क्वीं० तेरासी किलो) धान का गबन किया गया है। जिसका मूल्य धान के दर से मो०1,25,82,020.00 (एक करोड़ पच्चीस लाख बेरासी हजार बीस) रू० होता है, जो आपसे वसूलनीय है, के लिए पूर्व में पत्रांक 3063 दिनांक 28.12.2015 के द्वारा प्रपत्र ''क'' गठन कर भेजा गया है। पुनः श्री करण कुमार पो०–मेर्सस दीप ज्योति राईस मिल द्वारा की गई आपत्ति के आलोक में भंडार निर्गमादेश संख्या–2007970 दिनांक–16.08.2013 से जाँच के क्रम में पाया गया कि 3400.00 क्वीं० धान के विरूद्ध मात्र 2000.00 क्वीं० धान निर्गत किया गया है। शेष 1400.00 क्वीं० धान का और गबन किया गया है। इस तरह कुल 11045.83 (ग्यारह हजार पैंतालीस क्वीं० तेरासी किलो) धान का गबन किया गया है। निगम मुख्यालय के निर्देशानुसार चावल का मूल्य वसूल किया जाना है । जिसके समतुल्य 7400.71 चावल का मूल्य 2165.56 रूपये प्रति क्वीं० के दर से मो० 1,60,26,681.55 (एक करोड़ साठ लाख छब्बीस हजार छः सौ इक्कासी रूपये पचपन पैसे) होता है, जो आपसे वसूलनीय है।

(ii) मिलरों के द्वारा उपलब्ध कराये गये चालान के मिलान से विदित होता है कि आपके द्वारा 11045.83 (ग्यारह हजार पैंतालीस क्वीं० तेरासी किलो) क्वीं० धान का गबन किया गया है।

(iii) बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम 3(i)(ii) एवं (iii) का उल्लंघन है।

3. श्री कृष्ण कान्त यादव के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता, नालंदा के पत्रांक–51/वि० जाँच दिनांक–20.10.2021 द्वारा श्री यादव के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी ने समर्पित अपने संचालन प्रतिवेदन में निम्न प्रतिवेदन दिया है :–

आरोप संख्याः–1

गठित आरोप, आरोपित के कारणपृच्छा एवं साक्ष्य तथा उपस्थापन पदाधिकारी के प्रतिवेदन एवं साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आरोपित खरीफ विपणन मौसम वर्ष 2012–13 में क्रय केन्द्र बेन के प्रभारी थे। उनके द्वारा कुल 39082.83(उन्चालीस हजार बेरासी क्विंटल तेरासी किलो) धान क्रय किया गया था। क्रय किये गये धान की सम्पूर्ण मात्रा का भंडार निर्गमादेश कार्यालय से निर्गत किया गया है। कुल क्रय किये गये धान में 11045.83 क्विंटल धान मिलर को भेजने की सेवित प्रति कार्यालय में जमा नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि आरोपित द्वारा 11045.83 क्विंटल धान मिलर को नहीं भेजा गया है, जिसके समतुल्य 7400.71 क्विंटल चावल का मूल्य 2165.56 रूपये प्रति क्विंटल के दर से मो० 1,60,26,681.55 (एक करोड़ साठ लाख छब्बीस हजार छः सौ इक्कासी रूपये पचपन पैसे) उनसे वसूलनीय है। इस प्रकार लगाया गया यह आरोप प्रमाणित होता है।

आरोप संख्या–2

गठित आरोप, आरोपित का कारणपृच्छा एवं साक्ष्य तथा उपस्थापन पदाधिकारी का प्रतिवेदन एवं साक्ष्य का अवलोकन किया गया। आरोपित के विरूद्ध 11045.83 क्विंटल धान मिलर को नहीं भेजने का आरोप है।

आरोपित का कहना है कि धान अधिप्राप्ति के क्रम में उनके द्वारा कोई अनियमितता नहीं किया गया है। परन्तु उपस्थापन पदाधिकारी का कहना है कि क्रय किये गये धान को भंडार निर्गमादेश के माध्यम से संबंधित मिल के लिए निर्गत करना क्रय केन्द्र प्रभारी की जिम्मेवारी है। आरोपित द्वारा 11045.83 क्विंटल धान संबंधित मिल हेतु निर्गत नहीं किया गया है। उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अवलोकन से भी विदित होता है कि आरोपित को क्रय किये गये धान की सम्पूर्ण मात्रा का निर्गत भंडार निर्गमादेश का सेवित प्रति कार्यालय में जमा करने का निदेश कई पत्रों से दिया गया है परन्तु आरोपित द्वारा चावल मिलों को भंडार निर्गमादेश पर 11045.83 क्विंटल धान निर्गत कर सेवित प्रति कार्यालय में जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार लगाया गया यह आरोप प्रमाणित होता है।

4. संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप प्रमाणित होता है, के समर्पित प्रतिवेदन पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–18 (3) के तहत निदेशालय के पत्रांक–1488 दिनांक–19.11.2021 द्वारा श्री कृष्ण कान्त यादव से अभ्यावेदन की मांग की गयी। उक्त के आलोक में समर्पित अपने अभ्यावेदन में श्री यादव ने निम्न तथ्यों का उल्लेख किया है :–

निदेशानुसार धान क्रय किया जा रहा था। प्रखंड वेन अनतर्गत प्रशिक्षण भवन को क्रय केन्द्र बनाया गया जिसकी भंडारण क्षमता लगभग 3000 क्विंटल थी। भंडारण के अभाव में अधिप्राप्ति बंद कर दिया गया। बेन प्रखंड अन्तर्गत सभी पैक्स अध्यक्षों के साथ बैठक हुई जिसमें जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, नालंदा,जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, नालंदा, जिला सहकारिता पदाधिकारी, नालंदा एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी, बेन के

राज्य खाद्य निगम, नालंदा, जिला सहकारिता पदाधिकारी, नालंदा एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी, बेन के उपस्थिति में बैठक हुई। बैठक में आम सहमति बनी कि किसानों के साथ पैक्स के माध्यम से क्रय केन्द्र बेन को देंगे और धान का भंडारण पैक्स अध्यक्ष अपनी अभिरक्षा में निजी गोदाम में भंडारण करेंगे। राज्य खाद्य निगम से प्राप्त SIO के विरूद्ध में धान का उठाव कर राईस मिल को भेजना है। इसी धान उठाव के क्रम में कुछ पैक्स अध्यक्ष द्वारा धान वापस नहीं किया गया जो निम्न है:–

1. खैरा पैक्स – 560.60 क्विंटल
2. वेन पैक्स –1128.43 क्विंटल
3. नेहसा पैक्स –503.96 क्विंटल
4. मैजरा पैक्स –2282.51 क्विंटल
5. एकसारा पैक्स – 2223.25 क्विंटल

कुल– 6698.75 क्विंटल

बैठक में यह बात कही गई है कि जो स्थानीय राईस मिलर हैं वो परिवहन अभिकर्त्ता के उपलब्ध वाहन के अलावा भी अपने निजी वाहन से भी धान का उठाव कर सकते हैं। राज्य खाद्य निगम, नालंदा से श्री राम राइस मिल मैजरा को 4000 क्विंटल का SIO निर्गत किया गया। क्रय केन्द्र बेन से परिवहन अभिकर्त्ता के उपलब्ध वाहन द्वारा 1000 क्विंटल धान राईस मिल को भेजा गया। एवं शेष राईस मिलर के निजी वाहन ट्रैक्टर/पिकअप वैन से भेजा गया । राईस मिलर द्वारा 1000.00 क्विंटल का प्राप्ति SIO पर दिया गया और 2939.19 क्विंटल धान का कच्चे पेपर पर दिया गया है, परन्तु SIO पर नहीं दिया गया है जिसकी सूचना राज्य खाद्य निगम, नालंदा को दे दी गयी है।

उनके द्वारा एक परिवाद पत्र सिविल कोर्ट, नालंदा में दर्ज कराया गया है जिसकी संख्या–375/2014 है।

आरोप संख्या–02 के संबंध में उनका कहना है कि उक्त भंडार निर्गमादेश के विरूद्ध 3400 क्विंटल धान मेसर्स दीप ज्योति राईस मिल को दे दिया गया है और राईस मिल में SIO पर प्राप्ति लेकर राज्य खाद्य निगम, नालंदा को सेवित प्रति (हरा वाला) जमा किया गया है।

जुलाई, 2015 में उनका स्थानांतरण प्रखंड कार्यालय, बेन, नालंदा से प्रखंड कार्यालय डुमराँव, बक्सर हो गया। दिनांक– 04.08.2017 को उनके घर में भीषण चोरी हो गयी। उक्त घटना में प्राप्ति रसीद भी चोरी हो गयी जिसके कारण रिसीविंग से संबंधित कागजात उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं कर पा रहें हैं। चोरी होने से संबंधित FIR COPY एवं अखबार की कटिंग संलग्न किया गया है ।

श्री कृष्ण कान्त यादव द्वारा अपने अभ्यावेदन में उन्हीं तथ्यों का उल्लेख किया है जो इनके द्वारा संचालन पदाधिकारी को दिये गये अभ्यावेदन में दिया गया है। इनके द्वारा किसी नये तथ्य का उल्लेख अपने अभ्यावेदन में नहीं किया गया है। अतएव इनका अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं है।

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा 11045.83 क्विंटल धान मिलर को नहीं भेजा गया है, जिसके समतुल्य 7400.71 क्विंटल चावल का मूल्य 2165.56 रूपये प्रति क्विंटल की दर से मो०1,60,26,681.55 (एक करोड़ साठ लाख छब्बीस हजार छः सौ इक्यासी रूपये पचपन पैसे) उनसे वसूलनीय है। गबन के उक्त मामले में आरोपी पदाधिकारी पर वेन थाना कांड संख्या–27/2015 दिनांक–09.04.2015 दर्ज है ।

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के का०आ०सं०–149 सहपठित ज्ञापांक–663 दिनांक –03.04.2017 द्वारा अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गयी ।

श्री कृष्ण कान्त यादव, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, बेन प्रखंड, नालंदा संप्रति पुनपुन प्रखंड, पटना के विरूद्ध गठित आरोप गंभीर प्रवृति का परिलक्षित होता है।

अतः श्री कृष्ण कान्त यादव के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए संचालन प्रतिवेदन से सहमत होते हुए उन पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(XI) मे किये गये प्रावधानों के तहत आदेश निर्गत की तिथि से **सेवा से बर्खास्तगी की शास्ति** अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है।

1,60,26,681.55/–(एक करोड़ साठ लाख छब्बीस हजार छः सौ इक्यासी रूपये पचपन पैसे) रूपये वसूलनीय दर्शाया गया है। इसके संबंध में आरोप प्रतिवेदक विभाग (बिहार स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि०, नालंदा) यदि चाहे तो अलग से विधिसम्मत कार्रवाई कर सकते हैं।

ह०/–

(बैद्यनाथ यादव)

निदेशक

ज्ञापांकः– स्था०1/आ०2–02/2016 637 /पटना, दिनांक :– 11/04/22

प्रतिलिपिः– सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।

2. जिला पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. जिला पदाधिकारी, नालंदा को उनके पत्रांक–926 दिनांक–09.08.2016 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. कोषागार पदाधिकारी, नालंदा/पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, नालंदा/पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
6. जिला प्रबंधक, बिहार स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि०,नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
7. प्रखंड विकास पदाधिकारी, पुनपुन प्रखंड, पटना/बेन प्रखंड, नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
8. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेशालय के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
9. श्री कृष्ण कान्त यादव, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक–सह–क्रय केन्द्र प्रभारी, बेन, नालंदा संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, पुनपुन प्रखंड, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक

0372 स्था० 1 (का०आ०) (05 अप्रैल 2022)कृष्ण कान्त यादव.